

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-8/गृह स्थल-04-04/2011-..... (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय - बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिनों के लिए वास भूमि योजनान्तर्गत वर्ष-2014-15 में गृह विहिन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 1,30,77,000.00 (एक करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार) रूपए उपबधित राशि विभिन्न जिलों में व्यय की स्वीकृति।

आदेश - बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत गृह विहिनों के लिए वास भूमि योजनान्तर्गत वर्ष-2014-15 में गृह विहिन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल 1,30,77,000.00 (एक करोड़ तीस लाख सतहत्तर हजार) रूपए उपबधित राशि विभिन्न जिलों में व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. गृह स्थल (टी0एस0पी0) योजना :-

क्र0	जिला का नाम	2014-15 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि (रूपये)
1	2	3
1	प0 चम्पारण	1500000
2	कटिहार	1000000
3	पूर्णियाँ	1000000
4	बौकल	600000
5	सीवान	600000
6	जमुई	600000
7	भागलपुर	500000
8	किशनगंज	500000
9	गोपालगंज	500000
10	कैमूर	500000
11	अररिया	400000
12	सारण	357000
13	रोहतास	320000
14	बक्सर	300000
15	मुंगेर	300000
16	गोजपुर	300000
17	मधेपुरा	300000
18	पू0 चम्पारण	300000

कृ0पू030

19	सुपौल	300000
20	पटना	200000
21	लखीसराय	200000
22	सहरसा	200000
23	मुजफ्फरपुर	200000
24	मधुबनी	200000
25	गया	200000
26	सीतामढ़ी	200000
27	दरभंगा	200000
28	वैशाली	200000
29	नवादा	200000
30	सगरतीपुर	100000
31	बेगूसराय	100000
32	नालन्दा	100000
33	जहानाबाद	100000
34	आरंगाबाद	100000
35	खगडिया	100000
36	शिवपुरा	100000
37	अरवल	100000
38	शिवहर	100000
कुल योग :-		1,30,77,000.00

(एक करोड़ तीस लाख सतहतर हजार) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में गृह स्थल (टी0एस0पी0) योजना के लिए 130.77 लाख रुपये का उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है।

4. गृह स्थल (टी0एस0पी0) योजना के लिए राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष-0101-गृह विहिनो के लिए वास भूमि, माँग स0-40. विपत्र कोड-P4047007960101. विषय शीर्ष 5302 भू-अर्जन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. विभागीय संकल्प सं0- 373(8) दिनांक-20.11.2014 द्वारा एम0भी0आर0 के आधार पर रैयती भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.1998 तथा संशोधित पत्रांक-6720(वि0) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जायेगा।

7. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।

9. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(व्यास जी).
प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापक-8/गृह स्थल-04-04/2011

(8)/रा0. पटना-15. दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापक-8/गृह स्थल-04-04/2011-

08

(8)/रा0. पटना-15 दिनांक- 06/11/15

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्ता, बिहार/सम्बन्धित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/घजट शाखा-5 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।